भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5566

04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष समग्र कल्याण केंद्र

5566. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री आलोक शर्मा:
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:
श्री गजेन्द्र सिंह पटेल:
श्री छत्रपाल सिंह गंगवार:
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:
श्री धर्मबीर सिंह:
डॉ. भोला सिंह:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुष समग्र कल्याण केन्द्रों के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) उक्त केन्द्रों द्वारा किन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है/ध्यान दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त केन्द्रों की कोई डिजिटल सेवा शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मध्य प्रदेश में कितने केन्द्र संचालित हैं और इस पर प्रगति रिपोर्ट क्या है;

(घ) क्या हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में ऐसे केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो इसकी समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन केन्द्रों की आम जनता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) इन केन्द्रों के कार्यान्वयन में सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं तथा उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष समग्र कल्याण केंद्रों के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (एससीआई) के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार:

(i) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और भारत के सर्वोच्च न्यायालय, तिलक मार्ग, नई दिल्ली ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के कर्मचारियों, अधिकारियों, कार्मिकों और स्टाफ आदि को आयुर्वेद के बारे में सचेत करने और जागरूकता गतिविधियों के लिए अतिरिक्त भवन परिसर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में आयुर्वेद समग्र कल्याण केन्द्रों की स्थापना और संचालन पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है।

(ii) आयुर्वेद आयुष समग्र कल्याण केंद्र में निम्नलिखित शामिल हैं-

- पंचकर्म केंद्र, सभी पंचकर्मों और संबद्ध चिकित्साओं के लिए सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित है,
- जीवनशैली संबंधी परामर्श, योग, आहार संबंधी परामर्श और तनाव प्रबंधन इकाई,
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में आयुर्वेद हेतु आयुष समग्र कल्याण केंद्र की स्थापना के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने हेतु लघु फार्मेसी के साथ आयुर्वेद संबंधी परामर्श प्रदान किया गया।

समझौता ज्ञापन के अनुसार उक्त केंद्रों द्वारा उपचार/समाधान किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार हैं:-

(i) भारत के सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में आयुर्वेद हेतु आयुष समग्र कल्याण केंद्र की स्थापना और संचालन करना।

(ii) समन्वय एजेंसियों सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों और उनके परिवारों तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आयुर्वेद पर जागरूकता और संवेदीकरण गतिविधियाँ आयोजित करना।

(iii) आयुर्वेद उपचार उत्कृष्टता केंद्र के रूप में आयुर्वेद हेतु आयुष समग्र कल्याण केंद्र को और अधिक विकसित तथा समृद्ध करना।

(ग): भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आयुर्वेद समग्र कल्याण केंद्र में किसी प्रकार की डिजिटल सेवाएँ नहीं हैं। इसके अलावा, मध्य प्रदेश में ऐसे कोई केंद्र संचालित नहीं हैं।

(घ) से (च): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र में आयुष समग्र कल्याण केंद्रों की स्थापना करना संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, हरियाणा राज्य सरकार से, राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, भिवानी में 21 मौजूदा आयुष औषधालयों को आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के रूप में अपग्रेड करने के लिए सहयोग प्रदान किया गया है, जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर-आयुष के रूप में जाना जाता है।

जन सामान्य के लिए आयुष समग्र कल्याण केंद्रों तक पहुँच सुनिश्चित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। हालाँकि, भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय आयुष मिशन की समग्र योजना के तहत केंद्रीय प्रायोजित योजना पद्धति में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से 12500 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर-आयुष नाम दिया गया है) को संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का मुख्य उद्देश्य आयुष सिद्धांतों और व्यवस्थाओं के आधार पर एक समग्र कल्याण मॉडल स्थापित करना है ताकि बीमारी के बोझ को कम करने, फुटकर व्यय को कम करने और जरूरतमंद लोगों को सूचित विकल्प प्रदान करने हेतु "स्व-देखभाल" के लिए जनता को सशक्त बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, एनएएम के तहत एसएएपी के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, देश में मौजूदा आयुष औषधालयों/उप स्वास्थ्य केंद्रों की 12500 इकाइयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष के रूप में उन्नत करने की मंजूरी दी गई है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रिपोर्ट के अनुसार 12471 इकाइयां कार्यरत हैं।

*****